

राजस्थान सरकार  
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर  
(Ph:0141-2222249-67 Email ID :-store.dsap@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.-05(09)/स्टोर/नि.वि.यो./2022/ 465

जयपुर, दिनांक : 05/4/2023

**आदेश**

वित्तीय वर्ष 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा संख्या 83 के द्वितीय भाग की क्रियान्विति के लिये सुखद जीवन योजना के नियम 2 में विशेष योग्यजनों को विवाह पश्चात् वर्तमान में दी जा रही आर्थिक सहायता राशि रू. 50,000/- को 80 प्रतिशत एवं अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों के लिए बढ़ाकर रू. 5.00 लाख करने की सहमति प्रदान की जाती है।

वित्त विभाग की आई.डी. सं. 162300528 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में उक्त आदेश जारी किया जाता है।

**उक्त आदेश 01.04.2023 से लागू होगा।**

(अवधेश मीना)

आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.-05(09)/स्टोर/नि.वि.यो./2022/ 466-650

जयपुर, दिनांक 05/4/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. समस्त निजी सचिव, केबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
8. समस्त निजी सचिव, विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
9. समस्त जिलाकलेक्टर, राजस्थान सरकार।
10. समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
11. सहायक प्रोग्रामर/सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

**Signature valid**

Digitally signed by Avdesh Meena  
Designation: Commissioner  
Date: 2023.04.05 10:57:45 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3514255

